

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,
जैतारण (जिला-ब्यावर) राज0**

पीठासीन अधिकारी : श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०

राजस्व वाद पत्र संख्या : 148/2023

GCMS No. : 2023/417

--: वादी :-

बनाम

--: प्रतिवादी :-

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर।

1. ओमकंवर पत्नि नाथुसिंह जाति-राजपूत
निवासी-सांगावास तहसील- जैतारण
जिला-ब्यावर राज0।
2. रामलाल पुत्र चन्दाराम जाति-कुमावत,
निवासी-निमाज, तहसील-जैतारण,
जिला-ब्यावर।

राजस्व वाद पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू :- 06.07.2023

उपस्थित:- 1. तहसीलदार, जैतारण पैरोकार सरकार।

--: निर्णय :-

दिनांक :- 25.11.2024

वादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 2117/385 कुल रकबा 0.1443 हैक्टेयर सरहद मौजा- निमाज-1 तहसील-जैतारण में स्थित है उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी ने जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर **प्लाट काटकर कब्जा (कॉलोनी बनाकर पक्की सड़क)** कर खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादी को हक नहीं है। प्रतिवादी ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टिनेन्सी एक्ट की शर्तों को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी एक्ट की शर्तों को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं। दावा हाजा के लिए बिनाय मुख्रासमत दिनांक 12.05.2023 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का निमाज-1 ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से के अवैध रूप से अकृषि (**प्लाट काटकर कब्जा, कॉलोनी बनाकर, पक्की सड़क**) का कार्य करने की सूचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177 92क, 63 आर.टी एक्ट 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

इस पर वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। है। बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।



उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
जैतारण (ब्यावर)

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खातेदार प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2117/385 कुल रकबा 0.1443 हैक्टेयर सरहद मौजा निमाज-1 जिसकी किस्म चाही चारम है, अर्थात कृषि योग्य भूमि है का बिना विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किए एवं बिना सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किए मौके पर प्लॉटिंग कर कॉलोनी काट कर आवासीय एवं अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लिया जा रहा है। पटवारी पटवार हल्का निम्बोल-1 की मौका फर्द दिनांक 12.05.2023 से इस तथ्य की भली-भाँति पुष्टि होती है। खातेदार द्वारा बावजूद सूचना के न तो उक्त तथ्य का खण्डन किया है एवं न ही अपने पक्ष में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए है। खातेदार द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्लॉटिंग करके आवासीय कॉलोनी के रूप में अनुप्रयोग करना अहितकर कार्य की श्रेणी में आता है, तथा यह खातेदार के खातेदारी अधिकारों का विलोपित करते हुए बेदखल किए जानें का पर्याप्त आधार है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादी तहसीलदार, जैतारण का वाद-पत्र भली-भाँति साबित होता है।

अतः वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवाय चक खाता सरकार दर्ज करना विधि सम्मत् रहेगा।

—: आदेश :-

अतः निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम- निमाज-1, पटवार हल्का- निमाज-1, तहसील- जैतारण के खसरा संख्या 2117/385, रकबा 0.1443 हैक्टेयर, किस्म- चाही चारम से प्रतिवादीगण खातेदारान् के खातेदारी अधिकार को विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक खाता सरकार दर्ज करने के आदेश किए जाते हैं। प्रतिवादीगण खातेदारान् को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जावे। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक उपनिदेशक एवं पदेन
उपनिदेशक अधिकारी जैतारण,
जैतारण (ब्यावर)



निर्णय आज दिनांक 25/11/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक उपनिदेशक एवं पदेन
उपनिदेशक अधिकारी जैतारण,
जैतारण (ब्यावर)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
बईजलास :- श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0

<p align="center">-: वादी :-</p> <p>1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर।</p>	<p align="center">बनाम</p> <p align="center">-: प्रतिवादी :-</p> <p>1. ओमकंवर पत्नि नाथुसिंह जाति-राजपूत निवासी-सांगावास तहसील- जैतारण जिला-ब्यावर राज0। 2. रामलाल पुत्र चन्दाराम जाति-कुमावत, निवासी-निमाज, तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर।</p>
--	---

राजस्व वादपत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा , मु0न0 :रा0वा0 स0: 148/2023
177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी श्री तहसीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुब्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद-वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम- निमाज-1, पटवार हल्का- निमाज-1, तहसील- जैतारण के खसरा संख्या 2117/385, रकबा 0.1443 हैक्टेयर, किस्म- चाही चारम से प्रतिवादीगण खातेदारान् के खातेदारी अधिकार को विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक खाता सरकार दर्ज करने के आदेश किए जाते हैं। प्रतिवादीगण खातेदारान् को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जावे। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 25/11/2024 को जारी किया गया।



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
पदेन सहायक कलक्टर
जैतारण (ब्यावर)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुब्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		

मिजान:-

मिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।